बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०स०–स्था०1/आ०2–19/2017 306 पटना, दिनांकः 12.09.18

कार्यालय आदेश

श्री सुधीर कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सकरा प्रखंड, मुजफ्फरपुर संप्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–3604 /अभि० दिनांक– 01.11.2017 द्वारा समर्पित आरोप प्रपत्र के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०–31 सहपठित ज्ञापांक–236 दिनांक–25.01.2018 द्वारा श्री सुधीर कुमार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम –17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच),मुजफ्फरपुर–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक– 146/वि०जॉ०, दिनांक– 01.06.2018 द्वारा श्री सुधीर कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि :– "श्री सुधीर कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सकरा, मुजफ्फरपुर संप्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण एवं उपस्थापन पदाधिकारी–सह–जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रस्तुत किये गये विभागीय पक्ष एवं समर्पित किये गये प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री सुधीर कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सकरा, मुजफ्फरपुर द्वारा श्रीमती पूनम देवी पति –श्री शंकर रजक एवं श्रीमती फुलपतिया देवी पति–श्री चन्द्रशेखर रजक को इंदिरा आवास योजना का दोहरा लाभ दिया गया है। श्री सुधीर कुमार द्वारा यह कहना कि लाभुको द्वारा दिये गये स्वयं शपथ–पत्र एवं पंचायत सचिव द्वारा इंदिरा आवास की सूची को सत्यापित करने, लाभुकों से संबंधित अभिलखों पर तत्कालीन पंचायत सचिव द्वारा पूर्व में लाभ नहीं प्राप्त होने का प्रमाण पत्र देने एवं संचिका सहायक द्वारा योजना पंजी तैयार एवं हस्ताक्षर कर उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद हीं उसकी स्वीकृति दी गयी, प्रखंड विकास पदाधिकारी का यह कहना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। यदि प्रखंड विकास पदाधिकारी स्वयं स्थल निरीक्षण करते तो इंदिरा आवास का दोहरा लाभ श्रीमती पूनम देवी एवं श्रीमती फुलमतिया देवी को नहीं मिल पाता। दोहरे लाभ की वसूली कर ली गयी है एवं लोकायुक्त महोदय, बिहार पटना के आदेश के आलोक में सूद की राशि आधा इनके द्वारा जमा किया जा चुका है। श्री सुधीर कुमार द्वारा यह कहना है कि आवेदिका के स्वयं शपथ पत्र एव पंचायत सचिव एवं कार्यालय सहायक द्वारा योजना पजी तैयार कर

हस्ताक्षर हेतु उनके समक्ष उपस्थापित किया गया, इसलिए स्वीकृति दी गई। इस मामले में संबंधित पंचायत सचिव पर भी प्रपत्र 'क' गठित किया गया था, जिस पर पूर्व में ही आरोप प्रमाणित कर भेज दिया गया है। श्री सुधीर कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी से इंदिरा आवास स्वीकृत करने में गलती प्रत्यक्ष रूप से न होकर परोक्ष रूप से हुई हैं।

निष्कर्ष :–श्री सुधीर कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सकरा मुजफ्फरपुर संप्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध आंरोप प्रमाणित होते हैं।"

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) में किये गये प्रावधान के तहत संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित पाये जाने के प्रतिवेदन पर श्री सुधीर कुमार से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया । अपने अभ्यावेदन में श्री सुधीर कुमार ने यह उल्लेख किया है कि :–

(I) माननीय लोकायुक्त महोदय के आदेश का अनुपालन करते हुए उनके द्वारा दिनांक–16.11.2017 को सकरा प्रखंड कार्यालय के नजारत में सूद की राशि मो०27000/– (सताईस हजार) रूपये जमा करा दिया गया है।

(II) दोहरा लाभ प्राप्त लाभुकों के षड्यंत्रपूर्ण आचरण, संबंधित पंचायत सचिव के गलत सत्यापन एवं प्रभारी संचिका सहायक के गलत प्रतिवेदन के कारण ही उक्त दोनों लाभार्थियों को इंदिरा आवास की दोहरी राशि भुगतान हुई थी।

(III) प्रखंड के संचिका प्रभारी द्वारा पूर्व के संधारित पंजी/अभिलेखों से मिलान करने के उपरांत योजना पजी तैयार एवं हस्ताक्षरित कर स्वीकृति हेतु उपस्थापित किया गया जिसपर उनके द्वारा स्वीकृति दी गई।

इस प्रकार श्री कुमार द्वारा उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो इन्होंने संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपने स्पष्टीकरण में दिया था, जिसके समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

4. अपने अभ्यावेदन में श्री सुधीर कुमार द्वारा कहना कि दोहरा प्राप्त लाभुकोंके षड्यंत्रपूर्ण आचरण, संबंधित पंचायत सचिव के गलत सत्यापन एवं प्रभारी संचिका सहायक के गलत प्रतिवेदन के कारण ही उक्त दोनों लाभार्थियों को इंदिरा आवास की दोहरी राशि भुगतान हुई तथा प्रखंड के संचिका प्रभारी द्वारा पूर्व के संधारित पजी/अभिलेखों से मिलान करने के उपरांत योजना पंजी तैयार एवं हस्ताक्षरित कर स्वीकृति हेतु उपस्थापित किया गया जिसपर उनके द्वारा स्वीकृति दी गयी; को संतोषजनक उत्तर नहीं माना जा सकता है। इनके द्वारा यदि स्वयं स्थल निरीक्षण किया जाता तो इंदिरा आवास का दोहरा लाभ श्रीमती पूनम देवी एव श्रीमती पुलमतिया देवी को नहीं मिलता। इनसे

इदिरा आवास स्वीकृत करने में गलती प्रत्यक्ष रूप से न होकर परोक्ष रूप से हुई है। अतएव श्री कुमार का अभ्यावेदन स्वीकारयोग्य नहीं है।

5. उक्त वर्णित प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सुधीर कुमार पर संचयी प्रभाव के साथ एक वेतनवृद्धि को रोकने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

6. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सुधीर कुमार, तत्कालीन प्रखड विकास पदाधिकारी, सकरा प्रखंड, मुजफ्फरपुर संप्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुजफ्फरपुर पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 में किये गये प्रावधान के तहत संचयी प्रभाव के साथ एक वेतनवृद्धि को रोकने का वृहत दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०1/आ०2–19/2017 1847 पटना, दिनांक : 12-09-18

प्रतिलिपि :– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. श्री सुधीर कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सकरा प्रखंड, मुजफ्फरपुर संप्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय,मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 12/09